



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7  
नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com



पत्र सं०-220 / 18/प्र०-23/2016-16 दिनांक-27/01/2016  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु  
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री धमेन्द्र शर्मा,  
s/o स्व० देवराज शर्मा  
262-A, नौबस्ता,  
हमीरपुर रोड, कानपुर।

**विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 7/CP-02, योजना सं०-2, हंसपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 7/CP-02, योजना सं०-2, हंसपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या- 23/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 27/1/16 से 26/1/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 472.49 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गम निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**संलग्नक:**

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)  
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 27/1/16

पू0सं0: 220 /उक्त/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

**संलग्नक:- यथोक्त।**

वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी-काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं० 4682/नि० प्र०-56/20/16-17 दिनांक-28/12/2016  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु  
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री निखिल कुमार लखमानी,  
पुत्र श्री आत्म प्रकाश  
रूद्र डेवलपर्स, एच०आई०जी०-340,  
रतनलाल नगर, कानपुर।

**विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 1बी०-2/3, योजना सं०-2, हंसपुरम्, कानपुर के  
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 1बी०-2/3, योजना सं०-2, हंसपुरम्, कानपुर में निर्माण करने  
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर  
संख्या- 20/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 28/12/16 से 27/12/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ०प्र०  
आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से  
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमण्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 1768.06 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 1093.55 वर्गमीटर के भूखण्ड में  
प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की  
जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत  
पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान  
किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,  
जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के  
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कगश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**संलग्नक:**

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (02 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं गणना शीट।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)  
वास्तुविद नियोजक

पू0स0: 4682 /उक्त/

दिनांक : 28/12/2016

प्रतिलिपि-1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक

*Received*  
28/12/2016  
*Sanctioning Officer*  
*Received*  
*Hijaid*

IS 15700:2005



सेवाएँ प्रदायित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7  
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

मानचित्र तैयार कृती

IS 15700



पत्र सं०- 1773 /वा०नि०-7/नि०प्रा०-2/UT-15/17-18 दिनांक-23/6/2017  
उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु  
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती विजया तिवारी,  
पत्नी श्री आर०पी० तिवारी,  
24, एम०आई०जी०, बर्रा-5,  
कानपुर।

**विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड सं० : 7/CP-1 , योजना संख्या-2, हंसपुरम्, कानपुर की मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 7/CP-1, योजना सं०-2, हंसपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2017 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या- 2/UT-15/17-18 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 23/6/2017 से 22/6/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ०प्रा० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमण्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 831.00 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 540.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है, जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**संलग्नक:**

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं गणना शीट।

भवदीय

(अरविन्द देव)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 23/6/2017

पृ०सं०: 1773 /उक्त/


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

**संलग्नक:- यथोक्त।**

वास्तुविद नियोजक

23/6/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7  
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, प्रथम तल,  
केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर।



पत्र सं०-50 / वा0नि0-7 / नि0प्रा0सं0-08 / यू0टी0-15 / 17-18 / दिनांक-29/8/17

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री अनिल कुमार चौरसिया,  
129, ग्रेटर कैलाश, जे0के0 कॉलोनी,  
जाजमऊ, कानपुर नगर।

विषय:-स्कूल मूखण्ड सं० : 1बी/एन0एस0, हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्कूल मूखण्ड संख्या : 1बी/एन0एस0, हंसपुरम्, योजना सं०-2, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2017 के क्रम में नि0प्रा0 आदेश रजिस्टर संख्या-08/यू0टी0-15/17-18 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 29/8/17 से 28/8/22 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. मूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमण्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 789.45 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 960.00 वर्ग मीटर वर्गमीटर के मूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. मूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/मूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. मूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

क्रमशः-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटि द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरखा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**संलग्नक:**

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक:


29/08 29/8/17

पृ0सं0: 50 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, योजना सं0-1, केशवपुरम, कल्याणनपुर, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-18, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

**संलग्नक:- यथोक्त।**



  
वास्तुविद नियोजक  
29/08